



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2010/आश्विन 9, 1932

No. 249]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2010/ASVINA 9, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 29 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/12/2010-केंविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाण-पत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2010 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्र की मान्यता और उन्हें जारी करने में निबंधन तथा शर्तों) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 है।
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन :** मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि ऐसी उत्पादन कंपनी, जिसने अधिमानिक टैरिफ पर विद्युत के विक्रय के लिए ऊर्जा क्रय करार किया हो, करार की समय-पूर्व समाप्ति की दशा में, ऐसे करार की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति की अनुसूचित तारीख तक, जो भी पहले हो, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) स्कीम में भाग लेने की हकदार नहीं होगी, यदि उत्पादन कंपनी के विरुद्ध समुचित आयोग या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त ऊर्जा क्रय करार के निबंधनों तथा शर्तों के सारवान् भंग के लिए कोई आदेश या विनिर्णय पारित किया गया हो:

परंतु यह और कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित कैप्टिव ऊर्जा उत्पादक (सीपीपी) ऐसे संयंत्र से उत्पादित संपूर्ण ऊर्जा, जिसमें आरईसी स्कीम में भाग लेने के लिए स्व-खपत भी सम्मिलित है, के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए पात्र होगा कि ऐसे सीपीपी ने रियायती/संवर्धनात्मक पारेषण या चक्रण प्रभारों के रूप में कोई फायदा, बैंकिंग सुविधा फायदा तथा विद्युत शुल्क के अधित्यजन का फायदा नहीं लिया है या फायदा लेने का प्रस्ताव नहीं है :

परंतु यह भी कि ऐसा सीपीपी, रियायती पारेषण या चक्रण प्रभारों के फायदों, बैंकिंग सुविधा फायदों को स्वयं छोड़ता है तथा विद्युत शुल्क का अधित्यजन करता है, तो वह ऐसे फायदों को छोड़ने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही आरईसी स्कीम में भाग लेने का पात्र हो जाएगा :

परंतु यह भी कि आरईसी स्कीम में भाग लेने के लिए सीपीपी के लिए उपरोक्त उल्लिखित शर्त तब लागू नहीं होगी यदि ऐसे सीपीपी को रियायती पारेषण या चक्रण प्रभारों, बैंकिंग सुविधा फायदा तथा विद्युत शुल्क के अधित्यजन के रूप में दिए गए फायदों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग और/या राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया हो।

इस विषय पर कि क्या सीपीपी द्वारा ऐसे रियायती/संवर्धनात्मक फायदे लिए हैं या नहीं, पर विवाद, यदि कोई हो, को समुचित आयोग के पास नहीं भेजा जाएगा।”

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए “बैंकिंग सुविधा फायदा” अभिव्यक्ति का अर्थ केवल ऐसी बैंकिंग सुविधा से होगा जिसके द्वारा सीपीपी ने किसी भी समय (जिसमें व्यस्ततम घंटे भी हैं) बैंक की गई ऊर्जा का उपयोग करने का फायदा लिया हो चाहे वह गैर-व्यस्ततम घंटों के दौरान ग्रिड में समाविष्ट की गई हों।

3. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन :

- (i) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (4) में, “ग्रिड में समाविष्ट की गई”, शब्दों के पश्चात्” या पात्र कैप्टिव ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्व-उपयोग की दशा में, समाविष्ट समझी गई” शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(6) जारी प्रत्येक प्रमाणपत्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित तथा ग्रिड में समाविष्ट की गई या समाविष्ट की गई समझी जाने वाली (पात्र कैप्टिव ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्व-खपत की दशा में) ऊर्जा के एक मेगावाट घंटे को निरूपित करता है।”

आलोक कुमार, सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल अधिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 26, तारीख 18-1-2010 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2010

No. L-1/12/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “the principal regulations”), namely :—

1. **Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) (First Amendment) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 5 of principal regulations:** The following provisos shall be added at the end of the Sub-clause (c) of Clause (1) of Regulation 5 of the principal regulations, namely:

“Provided that such a generating company having entered into a power purchase agreement for sale of electricity at a preferential tariff shall not, in case of pre-mature termination of the agreement, be eligible for participating in the Renewable Energy Certificate (REC) scheme for a period of three years from the date of termination of such agreement or till the scheduled date of expiry of power purchase agreement whichever is earlier, if any order or ruling is found to have been passed by an Appropriate Commission or a competent court against the generating company for material breach of the terms and conditions of the said power purchase agreement.

Provided further that a Captive Power Producer (CPP) based on renewable energy sources shall be eligible for the entire energy generated from such plant including self consumption for participating in the REC scheme subject to the condition that such CPP has not availed or does not propose to avail any benefit in the form of concessional/promotional transmission or wheeling charges, banking facility benefit and waiver of electricity duty.

Provided also that if such a CPP forgoes on its own, the benefits of concessional transmission or wheeling charges, banking facility benefit and waiver of electricity duty, it shall become eligible for participating in the REC scheme only after a period of three years has elapsed from the date of forgoing such benefits.

Provided also that the abovementioned condition for CPPs for participating in the REC scheme shall not apply if the benefits given to such CPPs in the form of concessional transmission or wheeling charges, banking facility benefit and waiver of electricity duty are withdrawn by the State Electricity Regulatory Commission and/or the State Government.

The dispute, if any, on the question as to whether such concessional/promotional benefits were availed by a CPP or not shall be referred to the Appropriate Commission.”

Explanation:- For the purpose of this Regulation, the expression ‘banking facility benefit’ shall mean only such banking facility whereby the CPP gets the benefit of utilizing the banked energy at any time (including peak hours) even when it has injected into grid during off-peak hours.

3. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations:

- (i) In sub-Regulation (4) of the Regulation 7 of the Principal Regulations, the words “or deemed to be injected in case of self consumption by eligible captive power producer” shall be added after the words “injected into the Grid”.
- (ii) Sub- Regulation (6) of the Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:-

“(6) Each Certificate issued shall represent one Megawatt hour of electricity generated from renewable energy source and injected or deemed to be injected (in case of self consumption by eligible captive power producer) into the grid.”

ALOK KUMAR, Secy.

[No. ADVT. III/4/150/10-Exty.]

Note : The principal regulations were published on 18-1-2010 in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Sl. No. 26.